संख्या-56/2025/I/941869/2025/001-71-2099-263-2021

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।

2-निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 22-04-2025

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर द्वारा संख्या-हरोस/2025-26/61, दिनांक 03.04.2025 द्वारा असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लंबित बिलों के भुगतान हेतु धनराशि रु0 734.28 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा हेतु धनराशि रू0 1350.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 2084.28 लाख (रुपये बीस करोड़ चौरासी लाख अटठाईस हजार मात्र) तथा निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या-49/डा0रा0म0लो0आ0सं0/वित्त एवं लेखा/2025, दिनांक, 07.04.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत धनराशि रू0 1500.00 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता-अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 3125.00 लाख (रुपये इकतीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क्र0सं0	चिकित्सा संस्थान का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)
1	हृदय रोग संस्थान, कानपुर	2025.00
2	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	1100.00
योग-		**3125.00**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. निदेशक, संस्थान का दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/ समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे।
4. उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु (नियमावली 2013) यथासंशोधित में विहित व्यतवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि के 75 प्रतिशत के उपभोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र/लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-35/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/निदेशक, संस्थान का होगा।
7. धनराशि को कोषागार से संबंधित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 31,25,00,000 (रुपये इकतीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050368 आसाध्य रोगो के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-56/2025/I/941869/2025/001-71-2099-263-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, हृदय रोग संस्थान, कानपुर एवं डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in